न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—4/2022 (2022/34) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—अमरचन्द पिता भैरा गुर्जर निवासी बाड़ियाखुर्द तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—डालचन्द पिता भैरा गुर्जर निवासी बाड़ियाखुर्द तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—भुरालाल पिता भैरा गुर्जर निवासी बाड़ियाखुर्द तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—नन्दलाल पिता पेमा गुर्जर निवासी बाड़ियाखुर्द तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—नारायणलाल पिता भैरा गुर्जर निवासी बाड़ियाखुर्द तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — प्रार्थी अधिवक्ता
2. महेश दाधीच — विपक्षीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—21.07.2022

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बाड़ियाखुर्द पटवार मण्डल नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी संख्या 867 रकबा 0.42 हैक्ट. भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 तक मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजियात में संज, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर पैदल आदि सहित आवागमन करने हेतु एक मात्र रास्ता ग्राम बाडियाखुर्द से कोशीथल जाने वाली आम डामरीकृत सड़क से होकर आगे विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 03 की खातेदारी की आराजी संख्या 858 रकबा 0.03 हैक्ट. किस्म गे.मु. रास्ता खातेदारी से होते हुए आगे विपक्षी संख्या 04 की आराजी संख्या 859 रकबा 0.10 हैक्ट. किस्म गे.मु. रास्ता खातेदारी में 20 फीट चौड़ाई में स्थित है। इसी रास्ते से हम प्रार्थीगण व हमारे परिवारजन वर्षो से आवागमन कर रहे है। कभी भी विपक्षीगण ने रोक टोक नहीं की। किन्तु विपक्षीगण करीबन 7—8 माह से हम प्रार्थीगण को रास्ते का उपयोग उपभोग करने में बाधा उपन्न कर रहे हैं तथा धमकी दे रहे हैं कि हमारा रास्ता यहां नहीं हैं। जमीन हमारी खातेदारी की हैं। अब हम तुम्हारा रास्ता यहां नहीं निकलने देंगे, क्योकि भूमि हमारे खातेदारी अधिकार की है और उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में खातेदारी से हमारे नाम पर दर्ज रेकार्ड हैं। इसलिये हम उक्त रास्ते को बन्द करेंगे प्रार्थीगण के लिये उपलब्ध एक मात्र रास्ते को अवरोध कर बन्द कर दिया व छड़िया एवं कांटे डाल दिये हैं। जब से प्रार्थीगण व हमारे परिवारजन हमारी उक्त आराजियात में आवागमन नहीं कर पा रहे है। तथा फसल काश्त लाभ न[illegible] रहे है। हमारे खेत बिना बुवाई के पड़े हुए है जिससे उक्त रास्ता राजस्व [illegible] दर्ज करवाया जाकर रास्ते का खुलासा करवाया जाना नित[illegible] है। उक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन करने का अ[illegible] कोई वैकल्पिक रा[illegible]के पर मौजूद नहीं है एक मात्र यही रास्ता है, जिससे हम प्रार्थी[illegible] वर्षो से आवागमन [illegible] रहे थे, किन्तु विपक्षीगण की नियत में फितुर आ जाने से उक्त रास्ते को बन्द कर दिया ताकि हम प्रार्थीगण परेशान होकर उक्त वर्णित भूमिया विपक्षीगण को विक्रय कर दे। जिससे हम प्रार्थीगण के लिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:13 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वर्णित रास्ता अत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता है किन्तु सुविधा जनक उपभोग के लिये नहीं हैं। जिससे उक्त वर्णित रास्ता हम प्रार्थीगण को दिलवाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया हैं। अतः प्रार्थीगण श्रीमान् से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम बाड़ियाखुर्द में प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 867 में संज, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर पैदल आदि सहित आवागमन करने का एक मात्र रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 858 व 859 जो किस्म गे.मु. रास्ता खातेदारी पर 20 फीट चौड़ाई में स्थित है, को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम किस्म रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम सादर फरमाया जावें तथा रास्ते का खुलासा करवाया जावें व विपक्षीगण को पांबद करवाया जावें कि उक्त वर्णित रास्ते से विपक्षीगण कभी कोई बाधा उत्पन्न नही करें और रास्ते को सदैव खुला रखे। रास्ते को भविष्य में कभी बन्द नही करें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं विपक्षी संख्या 2 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया व विपक्षी संख्या 3 फौरमल पक्षकार है जिन्होने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई।

विपक्षी संख्या 1 की ओर से अपने जवाब में अंकन किया कि प्रार्थना पत्र कि चरण सं0 1 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार लिखा स्वीकार नहीं है। उक्त चरण में वर्णित तथ्य में आराजी सं0 867 रकबा 0.42 भूमि का अवस्थित होना प्रार्थीगण अपनी साक्ष्य से प्रमाणित करावें। प्रार्थीगण ने झूठे तथ्य अंकित किये है विपक्षी संख्या 1 से 3/जवाबदाता की आराजी सं0 858 रकबा 0.30 है0 व विपक्षी सं0 4 कि आराजी सं0 859 रकबा 0.10 जिसके साबिक नम्बर 543 रकबा 10 विघा 10 बिस्वा थे जिसके बन्दोबस्त के पूर्व कभी भी मोके पर रास्ता नही था न वर्तमान में है लेकिन दोराने बन्दोबस्त आराजी सं0 858 व 859 को रास्ता गलत दर्ज कर दिया है तथा भु प्रबन्धन अधिकार को इस प्रकार से रास्ता दर्ज करने का अधिकार नही है। जिसको दुरस्त कराने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 एल0 आर0 एक्ट विपक्षी सं० 1 से 2 की ओर से पेश किया जा रहा है। वर्तमान में भी काश्त हो रही है व मोके पर भी कोई रास्ता अंकित नहीं है तथा प्रार्थी ने विपक्षी सं० 1 कि आराजी स० 858 व विपक्षी सं0 2 कि आराजी सं0 859 से सज बैल व गाडियो से कभी भी आवागमन नही किया है सारे तथ्य झूठे है उक्त भुमि में वर्तमान में भी काश्त हो रही है प्रार्थी ने पूर्व में सिविल न्यायालय में भी वाद प्रस्तुत किया है जो खारिज हुआ उसकी अपील भी खारिज हुई तथा रास्ता ही स्थित नही है तो बाधा पैदा करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है सारे तथ्य झूठे है। प्रार्थी अपनी आराजी सं0 867 में बिलानाम आराजी सं0 876 रकबा 0.02 हे0 भूमि से आवागमन करता आ रहा है जो उसके लिए सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता है जो मात्र 55 मीटर दूरी पर है जो सबसे नजदीक व सुविधा जनक रास्ता उसी से प्रार्थी आवागमन करता आ रहा है, जिसके लिए तहसीलदार रायपुर का मोका निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 10/03/2022 में स्पष्ट अंकन है तथा मोके पर आराजी संख्या 858 व 859 में कोई रास्ता होना [illegible] सीलदार रायपुर ने नही बताया है तथा आराजी संख्या 861 रकबा 0.07 [illegible] र्थी आवागमन कर रहा है जो उसकी आराजी से लगी हुई [illegible] 876 रकबा 0.02 से प्रार्थी सदैव से आवागमन करता आ रहा है व प्रार्थी को आराजी [illegible] 869 में से रास्ता लेना चाहीए लेकिन प्रार्थीगण ने झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है इसके [illegible]लावा प्रार्थी आराजी संख्या 860 में से भी आवागमन कर सकता है लेकिन प्रार्थी ने तथ्य छुपाकर आवेदन पेश किया जो खारिज होने योग्य है। अवशेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। विपक्षीगण उतरदाता कि आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:13 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 858 व 859 में कभी कोई रास्ता नही रहा है न प्रार्थी ने आवागमन किया है उक्त आराजियात दोराने बन्दोवस्त त्रुटिवश रास्ता दर्ज कर दिया जो विपक्षीगण की खातेदारी में है तथा खातेदारी का रास्ता किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण के आवागमन में उपयोग नहीं आया है तथा मोके पर फसल बोई हुई है व काश्त हो रही है प्रार्थीगण के लिए सबसे नज़दीकी व सुविधाजनक रास्ता आराजी सं0 876 व 869 में अवस्थित है व इसी से आवागमन करते आ रहे है। मोके पर वैकल्पिक रास्ता अवस्थित है प्रार्थी आराजी सं0 876 व नान्दशा गांव की सरहद के सहारे सहारे आराजी सं0 861 रकबा 0.07 हे0 से आवागमन करते आ रहे है मोके पर दो रास्ते व वैकल्पिक रास्ता अवस्थित है अवशेष कथन गलत होने से अस्वीकार है।

तहसीलदार रायपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि उक्त आराजी 867 रकबा 0.42 है0 पर मौके पर रास्ता नही बना हुआ है। राजस्व रेकार्ड में आराजी संख्या 858 व आराजी संख्या 859 क्रमशः रकबा 0.03 है0, 0.10 है0 गै.मु. खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। मौके पर रास्ता बंद है। विवादित रास्ते के अलावा नान्दशा सरहद के सहारे—सहारे होकर आराजी संख्या 861 रकबा 0.07 है0 गै.मु. रास्ता खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। वर्तमान में उक्त आराजी संख्या 867 में जाने हेतु आस पास के खेतो में होकर आना जाना हो रहा है। उक्त रास्ते हेतु आराजी संख्या 858 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 859 रकबा 0.10 है0 रास्ते हेतु कुल 0.13 है0 यानि 1300 वर्गमीटर बनता है जिसकी डीएससी दर से दुगुनी राशि 75848/—रूपये बनती है। वर्तमान में जो रास्ता चाहते है उसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से प्रस्तावित किया गया है। मौके पर आराजी संख्या 876 रकबा 0.02 है0 गै.मु. रास्ता बिलनाम गैर काबिल काश्त है किन्तु प्रार्थी के खेत से करीब 55 मीटर दुरी पर है।

तहसीलदार रायपुर के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट पर विपक्षी की ओर से एक आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में विपक्षी 2 व 3 के द्वारा विचाराधीन आराजी संख्या 858 रकबा 0.03 है0 मे से अपना सम्पूर्ण हिस्सा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में पंजीकृत हकत्याग पत्र से हक त्याग कर चुके है जिसमें विपक्षी 2 व 3 का उक्त आराजी में कोई हिस्सा शेष नही रहा है। जिसका उजर आपत्ति विपक्षी 1 के द्वारा जवाब में ले रखी है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र संशोधन नही कराया है न्यायहित मे प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई।

प्रकरण में पहले विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र में सुना गया विपक्षी अधिवक्ता द्वारा मुख्य कथन किया कि विपक्षी संख्या 2 व 3 के द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में हकत्याग कर देने से विपक्षी 2 व 3 का कोई हक अधिकार नही है और इस बाबत् प्रकरण में रजिस्टर्ड हकत्याग दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है। जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही करते हुए संशोधित टाईटल पेश जो शामिल पत्रावली है। इस आपत्ति का प्रार्थना पत्र पर कोई असर नही होता है।

प्रकरण में मूल प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण को अपनी आराजी में जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। विपक्षीगण के द्वारा अपने जवाब में दर्शाया गया है वहां रास्ता नही है और न कभी आवागमन किया गया है। विपक्षीगण द्वारा रास्ते की भूमि में छड़िया और कांटा डाल कर अवरूद्व करने का प्रयास किया गया, प्रार्थीगण के मना करने पर भी अपनी हठधर्मिता कर रहे है। जहां प्रार्थीगण के द्वारा आवागमन किया जा रहा था उसी जगह रास्ता चाहा जा रहा है जो राजस्व रेकार्ड में गे.मु. रास्ते के रूप में दर्ज है। प्रार्थीगण के द्वारा कोई नया रास्ता नही चाहा गया हैं उक्त रास्ता विपक्षी संख्या 1 के स्वामित्व का होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:13 IST
Reason: SelfAttested

नियमानुसार डीएससी दर से मुआवजा राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम रास्ते के रूप में दर्ज की जावे।

विपक्षीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वहां कभी आवागमन नही हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यो पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन में सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता आराजी संख्या 869 में एवं 870 की दक्षिणी मेड़ पर होता हुआ प्रार्थीगण अपनी आराजी में आवागमन कर सकता है, जो नजदीकी रास्ता है। इस आधार पर प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजियात में आवागमन हेतु जो रास्ता चाहा गया है वो मौके पर रास्ते के रूप में स्थित है तथा राजस्व रेकार्ड में भी गै.मु.रास्ते के रूप में दर्ज है। तहसीलदार रायपुर के द्वारा अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आसपास के खेतो में आवागमन हो रहा है और मौके पर रास्ता बंद कर रखा है। आराजी संख्या 858, 859, 860, 861 मौके पर रास्ते के रूप' मे स्थित है और राजस्व रेकार्ड में भी गै.मु. रास्ता दर्ज है। यह रेकार्ड इस बात को प्रमाणित करता है कि दौराने भू प्रबन्ध मौके पर इसी रास्ते से पड़ौसी खातेदारान का आवागमन होता रहा है और मौके पर रास्ता स्थित होने से भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा उक्त आराजियात की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज की गई है जो विपक्षी की खातेदारी भूमि का है। इस प्रकार मौके पर जो चालु रास्ता स्थित है उसको विपक्षी के द्वारा बंद किया जा रहा है। प्रार्थीगण के द्वारा कोई नये सिरे से रास्ता नही चाहा गया है। तहसीलदार रायपुर के द्वारा जो आराजी संख्या 876 से आगे जाने हेतु आराजी संख्या 869 व 870 में मौके पर कोई रास्ता नही होने से प्रार्थीगण द्वारा इस आराजियात में रास्ता प्रस्तावित नही कर आराजी संख्या 858, 859 में स्थित रास्ते को ही आवागमन हेतु प्रस्तावित किया गया है किन्तु वर्तमान में विपक्षी द्वारा रास्ता बंद करने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बाड़ियाखुर्द तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 867 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 858 रकबा 0.03 है0 मे से उत्तरी सीमा के सहारे सहारे 4 मीटर चोड़ाई में रकबा 0.0150 है0 यानि 150 वर्गमीटर व आराजी संख्या 859 रकबा 0.10 है0 मे से उत्तरी सीमा के सहारे सहारे 4 मीटर चोड़ाई में 0.0450 है0 यानि 450 वर्गमीटर कुल किता 2 कुल रकबा 600 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है जिसकी डीएससी दर 291723/–रूपये प्रति हैक्टयर जिससे 17503/–रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 35006/–रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका सम्बधित विपक्षी खातेदारान को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:32:13 IST
Reason: SelfAttested

21/07/2022

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—4 / 2022 (2022 / 34) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—अमरचन्द पिता भैरा गुर्जर निवासी बाड़ियाखुर्द तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—डालचन्द पिता भैरा गुर्जर निवासी बाड़ियाखुर्द तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—भुरालाल पिता भैरा गुर्जर निवासी बाड़ियाखुर्द तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—नन्दलाल पिता पेमा गुर्जर निवासी बाड़ियाखुर्द तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—नारायणलाल पिता भैरा गुर्जर निवासी बाड़ियाखुर्द तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बाड़ियाखुर्द तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 867 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 858 रकबा 0.03 है0 मे से उत्तरी सीमा के सहारे सहारे 4 मीटर चोड़ाई में रकबा 0.0150 है0 यानि 150 वर्गमीटर व आराजी संख्या 859 रकबा 0.10 है0 मे से उत्तरी सीमा के सहारे सहारे 4 मीटर चोड़ाई में 0.0450 है0 यानि 450 वर्गमीटर कुल किता 2 कुल रकबा 600 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है जिसकी डीएससी दर 291723/—रूपये प्रति हैक्टयर जिससे 17503/—रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 35006/—रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका सम्बधित विपक्षी खातेदारान को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 21.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

21/07/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—4 / 2022 (2022 / 34) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—अमरचन्द पिता भैरा गुर्जर निवासी बाड़ियाखुर्द तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—डालचन्द पिता भैरा गुर्जर निवासी बाड़ियाखुर्द तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—भुरालाल पिता भैरा गुर्जर निवासी बाड़ियाखुर्द तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—नन्दलाल पिता पेमा गुर्जर निवासी बाड़ियाखुर्द तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—नारायणलाल पिता भैरा गुर्जर निवासी बाड़ियाखुर्द तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बाड़ियाखुर्द तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 867 में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 858 रकबा 0.03 है0 मे से उत्तरी सीमा के सहारे सहारे 4 मीटर चोड़ाई में रकबा 0.0150 है0 यानि 150 वर्गमीटर व आराजी संख्या 859 रकबा 0.10 है0 मे से उत्तरी सीमा के सहारे सहारे 4 मीटर चोड़ाई में 0.0450 है0 यानि 450 वर्गमीटर कुल किता 2 कुल रकबा 600 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है जिसकी डीएससी दर 291723 /—रूपये प्रति हैक्टयर जिससे 17503 /—रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 35006 /—रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका सम्बधित विपक्षी खातेदारान को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 21.07.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

21-07-2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:13 IST
Reason: SelfAttested